

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तामील
में जारी हुए।

हीरा बनाम रामप्रताप

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट

06.01.2022 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि वो विवादित आराजी हाल खाता संख्या 52 खसरा संख्या 73/0.01, 74/0.18 ऐयर कुल कित्ता 2, कुल रकबा 0.19 ऐयर वाके ग्राम सीतापुरा तहसील टहला जिला अलवर के दक्षिणी 1/2 भाग से प्रार्थीनी को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा कर कोई निर्माण कार्य न करें, ना ही उक्त आराजी के कब्जे-काश्त व उपयोग-उपभोग में प्रार्थीनी के साथ व्यवधान उत्पन्न करें एवं मौके की स्थिति यथावत् बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 04.03.2022 तक पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की खातेदारी एवं निवर्तमान कब्जेशुदा आराजी पर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये मौका-स्थिति बनाये रखने बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है इस संबंध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 04.03.2022 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी

04/03/22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में राजगढ (अलवर) व्यस्त है। पत्रायली दिनांक 03/03/22 को पेश हो।

रीडर

22/04/22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रायली दिनांक 03/06/22 को पेश हो।

रीडर

03/4/22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रायली दिनांक 02/04/22 को पेश हो।

रीडर

05/01/22 पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रायली दिनांक 03/01/22 को पेश हो।

रीडर


व
म

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की तामील
में जारी हुए।

24/1/24

पीठारीन अधिकारी अन्य कार्यों में
ब्यस्त है। पत्रावली दिनांक 21/1/24
को पेश हो।


रीडर


03/2/24

पीठारीन अधिकारी अन्य कार्यों में
ब्यस्त है। पत्रावली दिनांक 02/02/24
को पेश हो।


रीडर


24/1/24

पीठारीन अधिकारी अन्य कार्यों में
ब्यस्त है। पत्रावली दिनांक 20/1/24
को पेश हो।


रीडर


20/9/24

पत्रावली पेश। वकील जायी
उप.। अपर्याप्त। लगान 16 बाद
सुचना तामील उप. नहीं उनके विरुद्ध
एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लारी
गई। वामो बहम दि. 01/12/24
को पेश हो।


Soo

06/12/24

पत्रावली पेश। मूलवाद अदम
हाजिरी एवं अदम परवी में
स्कारिज किया जा चुका है
अतः प्रार्थना पत्र 212 RT
Act की कार्यवाही बंद की जाती
है। पत्रावली तब्दर ले कमरेका
मूलवाद के साथ ललगन हो।


Soo